न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 339/2016/223 (00339/2016)

1. कालूसिंह पुत्र हजारीसिंह,
2. नीमसिंह पुत्र मोडसिंह,
3. श्रीतमी केली पत्नि भूरसिंह,
4. श्रीमती शांति पुत्री मोडसिंह,
5. श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 किशनसिंह,
6. परमेश्वर पुत्र किशनसिंह,
7. नौरत पुत्र किशनसिंह,
8. सुरेश पुत्र नीमसिंह,
9. राजू पुत्र बुद्धासिंह, नाबालिग जरिये सरंक्षक नीमसिंह पुत्र मोडसिंह, जाति रावत, निवासी गढ़ी थोरियान, पटवार
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम गढ़ी थोरियान, पटवार हल्का बलाड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भैरा पुत्र इन्द्रा,
2. मैदा पुत्र इन्द्रा,
   दोनों जाति रावत, निवासी ग्राम गढ़ी थोरियान, पटवार हल्का बलाड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती नीलम सुराणा पत्नि राजेश सुराणा, निवासी कॉलेज रोड़, सोमनाथ कॉलोनी, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. तहसीलदार, ब्यावर जरिये लैण्ड होल्डर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
6. उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

7. छोटूसिंह पुत्र हजारीसिंह,
8. नैनासिंह पुत्र मोडसिंह,
9. बाबूसिंह पुत्र मोडसिंह,
10. सीता पुत्री मोडसिंह,
11. मीरा पुत्री मोडसिंह,
12. शांतू पुत्र किशनसिंह,
13. बाली पत्नि मोडसिंह **(फौत—नाम तर्क)**
    समस्त जाति रावत, निवासी गढ़ी थोरियान, पटवार हल्का बलाड़, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

वादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 4.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 33/2010.

उपस्थितः—

1. ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री माधवराज, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3, 7 से 12 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 09.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. अपीलांटस एवं वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश कर कथन किया कि ग्राम वाके ग्राम गढी थोरियान, पटवार क्षेत्र बलाड़ भू—अभिलेख क्षेत्र नया नगर, तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खसरा नंबर 1680 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 1681/1, 1681/2, 1682, 1684, 1685/1, 1685/2, 1687/1 स्थित है । उक्त आराजियात में से विवादित भूमि खसरा नंबर 1680 रकबा 4 बिस्वा जो मौके पर व राजस्व मानचित्र में आने जाने के रास्ते पाल निर्मित है, शेष समस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है । खसरा नंबर 1680 रकबा 4 बिस्वा जो मौके पर पाल निर्मित है जिस पर से होकर वादीगण आबादी भूमि खसरा नंबर 1679 व 1678 के बीच में स्थित गली जो ब्यावर मसूदा रोड़ की डामर सड़क से शुरू होती है उसमें से होकर खसरा नंबर 1680 की पाल पर से होकर अपने खातेदारी खेत व अन्य खेतों में आते—जाते रहते है । वादीगण को उक्त खेतों में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 1680 में से होकर है इसके अलावा और कोई भी रास्ता मुख्य सड़क से वादीगण के खेत में आने जाने का नहीं है । उक्त खसरा नंबर प्रतिवादी संख्या/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के साथ वादी कालूसिंह व उसके भाई मोडसिंह, भूरसिंह, किशनसिंह, छोटूसिंह पुत्रान हजारी सिंह का आधा हिस्सा खातेदारी अधिकार चला आ रहा है व उक्त आधे हिस्से पर वादीगण काबिज है । प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने नाजायज व अवैध रूप से अधी0न्याया0 ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 18/2004 कपटपूर्ण व धोखाधडी से प्रस्तुत कर वादीगण को बिना सूचित किए व उनकी सहमति व स्वीकृति के उक्त वाद में प्रतिवादी भैरा ने अपने बयान देकर व दिनांक 16.2.2004 को फर्जी व कपटपूर्ण गलत बंटवारानामा प्रस्तुत कर बदनियतिपूर्व खसरा नंबर 1680 जो कि आने जाने के काम आती है को अपने अकेले के नाम उक्त प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 के द्वारा पारित करवा दिया जबकि वादीगण द्वारा की कोई बंटवारा सहमति नहीं दी गई एवं कानूनन भी मौके पर रास्ते के रूप में विद्यमान भूमि का बंटवारा नहीं किया जा सकता है । अतः वाद स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 खसरा नंबर 1680 बाबत् निरस्त किया जावे । उक्त वाद में तनकियात कायम होने के उपरांत प्रकरण में प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 ने एकपक्षीय बहस सुनकर आदेश दिनांक 4.6.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी के वाद को निरस्त किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित प्रावधानों एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को पूर्णतया नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतानुसार दूसरे पक्ष को सुने बिना उसके विरूद्ध

कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादीगण को बिना सूचित किये एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जो विधि विरूद्ध आदेश है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रावधानों के अनुसार जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं हो, जहां दावाकृत अनुतोष कम किया गया हो, जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है अथवा जहां वादपत्र में किये गये कथन से प्रतीत होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, तो ही वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त चारों प्रावधानों बाबत् किसी एक भी स्थिति बाबत् ना तो कोई कथन वर्णित किया है एव ंना ही ऐसी कोई स्थिति साबिक कराई है जिससे उक्त प्रावधानों के तहत वाद पत्र चलने योग्य नहीं हो । अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर वाद खारिज किया है जो विधिविरूद्ध है। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजरअदांज किया कि वादीगण द्वारा वर्ष 2010 में वाद पेश किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2011 में जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरांत वर्ष 2013 में प्रकरण में वाद पत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की गई एवं वाद पत्र वास्ते शहादत वादी नियत था तथा जिस तथ्य को प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उठाया है उक्त बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 2 व 3 पूर्व में कायम की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 के तहत एकपक्षीय तौर पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था । इस बिन्दु को भी नजरअदांज किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार वादपत्र धारा 11 जा0दी0 रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांतानुसार चलने योग्य नहीं होने का कथन करते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया है जबकि कानूनन स्थिति स्पष्ट है कि रेसज्यूडिकेटा का प्रश्न तथ्य एंव विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे वाद में बिना साक्ष्य सबूत के निर्णित नहीं किया जा सकता है एव ंना ही रेसज्यूडिकेटा के आधार पर वाद को बार्ड बाई लॉ माना जा सकता है । आराजी खसरा नंबर 1680 में वादीगण का आधा हिस्सा एवं प्रतिवादी का आधा हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है तथा अपनी खातेदारी भूमि से संबंधित अनुतोष हेतु वादीगण को न्यायालय के समक्ष वाद लाने का अधिकार है। किसी अन्य डिक्री को अपील के माध्यम से चुनौती नहीं देने के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । खसरा नंबर 1680 बाबत् पूर्व में अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद में पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है । उक्त वाद में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे में अपीलांट/वादी स्वंय के हस्ताक्षर है । अब पुनः इसी खसरा नंबर बाबत् वादीगण द्वारा नवीन वाद पेश किया गया है जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित है । विधिनुसार वादीगण का वाद खसरा नंबर 1680 का पूर्व में निर्णय होने से विधि द्वारा वर्जित होने से अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम गढ़ी थोरियान तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नंबर 1680 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 1681/1, 1681/2, 1682, 1684, 1685/1, 1685/2, 1687/1 स्थित है उक्त आराजियात में से विवादित भूमि खसरा नंबर 1680 रकबा 4 बिस्वा जो मौके पर राजस्व मानचित्र में आने जाने के रास्ते पाल निर्मित है, शेष समस्त भूमिया वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर से होकर वादीगण आबादी भूमि खसरा नंबर 1679 व 1678 के बीच में स्थित गली जो ब्यावर–मसूदा रोड़ की डामर सड़क से शुरू होती है उसमें से होकर खसरा नंबर 1680 की पाल पर से होकर अपने खातेदारी खेत व अन्य खेतों में आते जाते रहते है । वादीगण को उक्त खेतों मे आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 1680 में से होकर है किन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त खसरा नंबर 1680 जो कि आने जाने के काम आता है, को अपने अकेले के नाम कपटपूर्ण तरीके से निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 के द्वारा पारित करवा लिया जबकि वादीगण द्वारा कभी कोई बंटवारा सहमति नहीं दी गई थी । प्रतिवादी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 1680 बाबत् पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा फैसला कर दिया गया है एवं निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है । इस कारण रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर धारा 11 जा0दी0 के तहत मुकदमा खारिज होने योग्य है ।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवादित आराजियात के संबंध में वाद संख्या 18/2004 उनवान भैरा वगैरह बनाम श्रीमती केली पेश हुआ था । उक्त वाद में अपीलांट कालूसिंह स्वंय वादी के रूप में पक्षकार नियुक्त था । उक्त वाद में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश हुआ है जिस पर अपीलांट कालूसिंह स्वंय के हस्ताक्षर है । उक्त राजीनामे के अनुसार अधी0न्याया0 ने वाद दिनांक 30.3.2005 को वाद डिक्री किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 1680 रकबा 4 बिस्वा बा.2, खसरा नंबर 1681/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1685/1 रकबा ।19 बिस्वा, खसरा नंबर 1687/1/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 व 2 के खाते में तथा वादीगण संख्या 3 से 15 व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाते में खसरा नंबर 1681/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 1685/2 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 1687/1/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1687/2 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी रखे जाने के आदेश पारित कर वाद डिक्री किया है । उक्त निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 1680 के संबंध में पूर्व में दिनांक 30.3.2005 को निर्णय पारित किया जा चुका । अब पुनः खसरा नंबर 1680 रकबा 4 बिस्वा बाबत् वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश किया गया है । वादी को पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पुनः खसरा नंबर 1680 बाबत् वाद पेश किया गया है जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होकर संधारण योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.6.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर